दौलतराम

11/5/18 आज यह पत्रावली कैम्प कोर्ट अलाहेडी में पेश हुई। प्रार्थी वादी ने प्रा.पत्र प्रस्तुत किया कि वादी प्रार्थी अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है वाद पत्र का विदड्रा करना चाहता है। वादी प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद विदड्रा किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। नियम कैम्प कोर्ट में सुनाया गया।

(signature)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner